न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
41/2017	10.11.2017	05.01.2018

उनवान

1 सरदार सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर

–: प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 05.01.2018

उपस्थिति :–

1– श्री महेश यादव, वकील प्रार्थी

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये, सुना गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 813 रकबा 1.45 है, 815 रकबा 2.39 है0, 816 रकबा 3.02 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मिन प्रार्थी की दादालाई आराजी है। जो मिन प्रार्थी के पिता नाहर सिंह के फौत होने पर जरिये विरासत प्राप्त हुई आराजी से संबंधित कोई विवाद नहीं है। इसलिये अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी बाहर नौकरी करता था तथा मिन प्रार्थी के फौत होने पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अंकन करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सज्जनसिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज कर दिया जबकि मिन प्रार्थी का नाम सरदार सिंह पुत्र नाहर सिंह है तथा समस्त दस्तावेजात यथा कर्मचारी पेंशनर रिकॉर्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी सरदार सिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिये मिन प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने गलत नाम सज्जन सिंह पुत्र नाहर सिंह के नाम को हजफ कराकर शुद्धिकरण किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी। परन्तु जब दिनांक 02.06.2017 को राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता हुई तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी से राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 05.11.2017 को रिकॉर्ड शुद्धिकरण से मना कर दिया और सक्षम अदालत से दुरूस्त करवाने हेतु कहा। बस यही बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

पेश है। अंकित करते हुए उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थी का दर्ज नाम सजजन सिंह पुत्र नाहर सिंह को हजफ कर उसके स्थान पर सरदार सिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज किया जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी के विरूद्ध विधिवत् सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में कर्मचारी पेंशनर रिकॉर्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की छायाप्रतियां एवं स्वयं का शपथ पत्र तथा सहखातेदार सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह का शपथ पत्र पेश किया है मुताबिक सहखातेदार सुरेन्द्र सिंह के शपथ पत्रानुसार प्रार्थी सरदार सिंह सुरेन्द्र सिंह का सगा भाई है व सज्जन सिंह नाम का हमारे परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है। सज्जन सिंह सिंह के बजाय सरदार सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे। हमे कोई आपत्ति नहीं। जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई, दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्रों के जिम्मनों को दौहराते हुए सज्जन सिंह के बजाय हाल रिकॉर्ड में सरदार सिंह दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के गहनता से अध्ययन उपरान्त यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं हाल आ0ख0नं0 813 रकबा 1.45 है, 815 रकबा 2.39 है0, 816 रकबा 3.02 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर में अंकित सज्जन सिंह पुत्र नाहर सिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सरदार सिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner